

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2010/माघ 12, 1931  
No. 40] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2010/MAGHA 12, 1931

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2010

सं. 1/1/2009-विनि. कार्य (आरईसी)/के.वि.वि.आ.—  
केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र की मान्यता तथा उन्हें जारी करने के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आर.ई.सी. विनियम" कहा गया है) के विनियम 3(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एन.एल.डी.सी.) को आर.ई.सी. विनियमों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय अधिकरण के रूप में अभिहित करता है।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]